International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

डॉ.भीमराव अम्बेडकर : राज्य और सरकारी तन्त्र का आधार

डॉ. दुलारीराम मीना
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान)
राजकीय महाविद्यालय, खण्डार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राज्य को जनतांत्रिक व्यवस्था में एक आवश्यक संस्था मानते थे। विशेषकर अशान्ति और विद्रोह के समय इसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। उन्होंने समाज को अधिक महत्व दिया लेकिन फिर भी राज्य का महत्व कम नहीं होता, उसका महान कार्य " समाज की आन्तरिक अव्यवस्था और बाह्य अतिक्रमण से रक्षा करना है।"[1] राज्य का अपना एक क्षेत्र है, जिसमें उसकी गतिविधियाँ मान्य होती है हालांकि डॉ. अम्बेडकर राज्य को निरपेक्ष शक्ति के रूप में नहीं मानते थे। उसका स्थान गौण है। उन्होंने कहा : "किसी भी राज्य ने एक ऐसे अकेले समाज का रूप धारण नहीं किया जिसमें सब कुछ आ जाए या राज्य ही प्रत्येक विचार एवं क्रिया का स्त्रोत हो।[2]

डॉ. अम्बेडकर हीगल, हॉब्स, ग्रीन, बोसांके आदि से जिन्होंने राज्य के निरपेक्ष सिद्वान्त को माना, सहमत नहीं थे। इन विद्वानों के अनुसार "राज्य एक साधन नहीं है, वरन् एक साध्य है जिसके स्वंय इतने शक्तिशाली अधिकार होते है कि किसी भी व्यक्ति के संघर्ष के साथ वह अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है।"[3] व्यक्ति स्वयं अपने अधिकारों का स्त्रोत नहीं है। वह राज्य से अपने अधिकार प्राप्त करता है। अतः उनके ऐसे अधिकार का होना असम्भव है जो उसे राज्य के साथ संघर्ष में डाल दें।

डॉ. अम्बेडकर केवल इतना आवश्यक मानते थे कि राज्य एक मानव संस्था है, लेकिन वह सर्व-शक्तिमान एवं अन्तिम हैख यह बात उन्हें स्वीकार नहीं थी क्योंकि विचार और क्रिया के अन्य स्त्रोत भी हैं।

प्रत्येक समाज में अनेक भिन्नतायें, मिलती हैं जिनका दर्शन हमें विभिन्न प्रकार के लोगों, भाषाओं रीति-रिवाजों, धर्मो, नैतिक संहिताओं आदि में होता है। समाज में कुछ

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

मजबूत सामाजिक इकाइयां होती है तो कुछ समुदाय बहुत कमजोर होते है। इनकी दृष्टि से, यहां राज्य व्यवस्था का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि इतनी विभिननताओं में झगड़े-विवाद होना स्वाभाविक है। राज्य उनके साथ सही-सही निर्णय लेकर देकर न्याय कर सकता है।

राज्य की सत्ता के प्रति आज्ञापालन की भाना महत्वपूर्ण बात है। राज्य व्यवस्था की सफलता के लिए, यह आवश्यक है कि लोग उसके कानूनों का पालन करें। डॉ. अम्बेडकर जेम्स ब्राइस की इस बात से सहमत थे कि शक्ति या दवाब के द्वारा राज्य अपने को दृढ़ बना सकता है। लेकिन दबाव अनेक साधनों में से एक हैं। यह निर्विवाद तत्व नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने कहाः "राजनैतिक समुदायों को उत्पन्न करने, उनको अच्छी दिशा में ढालने, उनको विस्तृत रूप देने तथा उनको एकत्रित करने में दवाब से अधिक महत्वपूर्ण आज्ञापालन की भावना है। आज्ञापालन की भावना जो सरकार के कानूनों तथा नियमों के प्रति प्रदर्शित की जाती है, व्यक्ति और सामाजिक समुदायों की कुछ मनोवैज्ञानिक धारणाओं पर निर्भर करती है।[4]

यह बात भी ठीक है कि आज्ञापालन की भावना के बिना कोई सरकार अधिक दिनों तक टिक नही सकती है।

सरकार के प्रति आज्ञापालन का भाव शांति व्यवस्था के लिए जरूरी है। इन बातों के बिना न कोई सरकार, न केाई जनतंत्र या समाजवाद सफल हो सकता है। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर ने कहाः "सरकार की सत्ता के प्रति, सरकार की सुदृढ़ता के लिए, आज्ञापालन की भावना उतनी ही आवश्यक है जितनी की राजनैतिक दलों की राज्य के मौलिक तत्वों पर एकता। किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए यह असम्भव है कि वह राज्य व्यवस्था को कायम रखने के लिए आज्ञापालन के महत्व को अस्वीकार करें। राज्य के कानूनों में विश्वास न करना, अराजकता में विश्वास करने के समान है।[5]

डॉ. अम्बेडकर ने इस सिद्धान्त का स्वागत किया कि "वह सरकार उत्तम है जो कम से कम शासन करती है।"डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि लोगों को किसी भी सरकार के

अन्यायपूर्ण व्यवहार के समक्ष झुकना नहीं चाहिये। सरकार कभी-कभी गलत काम भी कर सकती है और यदि जनता के विचार ठीक है तो उसे संघर्ष करना चाहिये।

राज्य और उसका संगठन सामाजिक गतिविधियों की संस्थायें है। उनका मूल उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज की भलाई करना है। बाह्य अतिक्रमणों से रक्षा करना राज्य का परमावश्यक कार्य है। राज्य व्यवस्था, उसकी आवश्यकता तथा सामर्थ्य में अटूट विश्वास प्रकट करते हुये, उन्होंने कहा कि उसके मुख्य कार्य निम्नलिखित होने चाहिए-

1. "प्रत्येक व्यक्ति के जीवित रहने, स्वतंत्रता तथा आनन्द के अधिकारों को बनाये रखना राज्य का काम हैं।
2. विचार एवं उसको वयक्त करने तथा धर्म की स्वतंत्रता बनाये रखना राज्य का काम है।
3. सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करना और शोषित वर्गो को सुविधायें देना राज्य का काम है।
4. प्रत्येक नागरिक के लिए यह सम्भव करना कि वह भूख-प्यास तथा भय से मुक्त रहे, राज्य का काम है।

डॉ. अम्बेडकर के राजनैतिक विचार सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर आधारित है। वे यह नहीं मानते थे कि राज्य एकमात्र या आत्म निर्भर संस्था है। उसके साथ-साथ अनेक ऐच्छिक संस्थायें भी हैं जो मानव कल्याण में सहायक सिद्व होती हैं। ऐच्छिक संस्थाओं के बिना सरकार का काम काज चलना कठिन है। मानव सम्बन्धों की समग्रता के लिए सभी प्रकार की संस्थाओं का होना आवश्यक हैं।

उन्होंने यह माना कि राज्य एक मानव संगठन या संस्था है। क्योंकि यह मानव व्यवस्था है इसलिए राज्य को मनुष्य एवं समाज की सेवा सेवक के रूप में करनी है, न कि मालिक या मास्टर के रूप में राज्य मानवता की सेवा करने वाला एक साधन है, न कि साध्य।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

डॉ. अम्बेडकर ने मध्यम मार्ग को राजनैतिक क्षेत्र में भी माना और कहा कि गुण दो अतिशयवादी कोटियों के बीच मिलता है। उनके विचारों में यही मुख्य बात है जो उनके सामाजिक तथा राजनैतिक विचारों का आधार है। राजनीति के क्षेत्र में, डॉ. अम्बेडकर ने एकात्मक और संघीय सरकार और राज्य का एक ऐसा संघीय रूप रखा जो केन्द्रीय सरकार और उसकी विभिनन इकाइयों के संतुलन पर आधारित है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उन्होंने एक संघीय संविधान का प्रतिपादन किया और कहाः ''मैं यह अनुभव करता हूँ कि यह संविधान कारगर है, यह परिवर्तनशील है और यह इतना सबल है कि देश को युद्ध के समय और शान्ति के समय संगठित रूप से रख सकता है। वास्तव में, यदि मैं ऐसा कहूँ, यदि नये संविधान में बातें गलत सिद्ध हो तो कारण यह नहीं कि हमारा संविधान दोषपूर्ण है, हम केवल इतना ही कहेंगे कि मनुष्य दोषपूर्ण है।[7]

संविधान की दृष्टि में संघीय सरकार और राज्य सरकारों में घनिष्ठ सम्बन्ध है, हालांकि दोनों के कार्य-क्षेत्र भिन्न है। दोनों की शक्तियां अलग-अलग है। यह संघीय आधार छोटे-छोटे राज्यों का बनावटी रूप नहीं है और न राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियाँ है जो केन्द्र से ही शक्ति ग्रहण करती हो। केन्द्रीय तथा राज्य दोनों सरकारें संविधान से अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को प्राप्त करती है। दोनों के लिए संविधान ही शक्ति का स्त्रोत एवं प्रेरणा है। कोई भी राज्य सरकार अपने कार्य-क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं है। केन्द्र तथा राज्यों को आपस में ऐसा सहयोग तथा ताल-मेल रखना है कि जनता की स्वतंत्रताए बनी रहे और समाज की भौतिक प्रगति हो तथा आर्थिक समृद्धि बढ़े।[8]

स्पष्टतया भारतीय संविधान के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एकदम केन्द्रीयकरण पर आधारित है। संविधान में केन्द्र तथा राज्य सरकारों में संतुलन तथा सामंजस्य स्थापित किया गया हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

सच्चे संघवाद की मुख्य विशेषता डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में, यह है कि केन्द्र तथा राज्यों में विधानात्मक तथा कार्यात्मक शक्ति विभाजन ही होता है। भारत के वर्तमान संविधान में यह बात दी गई है।[9]

डॉ. अम्बेडकर का संघीय दृष्टिकोण इस बात को अधिक महत्व देता है कि मानवीय समस्याओं का समाधान सांविधानिक पद्धतियों के द्वारा किया जाना चाहिये और भारत का संविधान तो ऐसा है जो यहां के सामाजिक वातावरण के उपयुक्त है और जनता की राजनैतिक मांगों के अनुकूल है। इसमें केन्द्रीयकरण तथा विकेन्द्रीयकरण का माध्यम मार्ग अपनाया गया है, जिसके मुख्य कारण निम्नांकित है–

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

1. केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में अधिकृत शक्तियों का न्यायोचित विभाजन है–

2. प्रत्येक सरकार अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, और

3. संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य कार्य, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच झगड़ों का निपटारा करना है।10

डॉ. अम्बेडकर के जीवन का ध्येय सदैव यह रहा कि अच्छी सरकार की रूपरेखा को समझें और उसकी स्थापना में योगदान करें। वे सदैव स्वदेशी सरकार के समर्थक थे, जिसे अच्छी तथा कुशल दोनों ही होना चाहिये। उनके समक्ष ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई एक ही सरकार हो। स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय, उन्होंने स्वदेशी सरकार का समर्थन किया जो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह तथा कुशलतापूर्वक निभाये। जनता की सेवा करें और देश–हित में बलिदान करें।

अच्छी सरकार को कैसे कायम रखा जा सकता है? कुछ विद्वानों का यह विचार है कि स्वदेशी सरकार सदैव प्रभुसत्ता सम्पन्न होती है। अतः अच्छी सरकार में उसका परिणत होना स्वाभाविक है। डॉ. अम्बेडकर इस विचार से सहमत नहीं थे। प्रो. डायसी की बात को ध्यान में रखते हुये, उन्होंने कहाः किसी प्रभुसत्ता धारी की शक्ति का प्रयोग दो आन्तरिक एवं बाह्य सीमाओं की परिधि में होता है। उसकी बाह्य सीमा उसकी जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता उसके द्वारा बनाये गये कानूनों की कहां तक अवज्ञा या विरोध करती है। इसका यह अर्थ है कि कड़े से कड़ा शासक भी अपनी मर्जी से कानून नहीं बन सकता है और न उनको बदल ही सकता है। यह जनता के ऊपर निर्भर है कि वह कहाँ तक उन कानूनों को मानती है। यहां तक किस संसद की शक्ति की सामान्य विद्रोह या विरोध के सामने सीमित होती है।[11]

डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में शासक वर्ग की कार्य–कुशलता और योग्यता ही अच्छी सरकार नहीं बना पायेगी। ‘‘उसके लिए यह आवश्यक है कि उसमें अच्छे कार्य करने की इच्छा हो अर्थात् प्रो. डायसी के शब्दों में, शासक वर्ग में अपने आन्तरिक या वर्ग–हितों से

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

आगे बढ़कर भलाई करने की चाह होनी चाहिए। कार्य-कुशलता के साथ-साथ वर्ग-हितों को सन्तुष्ट करने की अभिलाषा शासकों में है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अच्छी सरकार के स्थान पर वह शोषित वर्गो पर अन्याय करने वाली सरकार बन जाएगी''[12] स्पष्टतया एक अच्छी सरकार, डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, वह है जो निष्पक्षता और न्याय, शुद्व शासन और जन-कल्याण की भावना के साथ कार्य करती है। ऐसी सरकार को प्रतिनिधि तथा स्वदेशी सरकार होना आवश्यक है।

अच्छी सरकार की सबसे उ>ाम विशेषता यह है कि वह वर्ग विशेष में रूचि न लेकर जन-कल्याण में संलग्न रहती है। ऐसी सरकार शासन व्यवस्था का कामकाज चलाने के लिए उ>ाम साधनों या व्यक्तियों का चयन करती है।

जनता और संसदीय सरकार-

डॉ. अम्बेडकर संसदात्मक सरकार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने माना कि ब्रिटेन में जिस प्रकार की संसदीय प्रणाली है, वह भारत में उपयुक्त रहेगी। संसदीय प्रणाली भारत के लिए कोई नवीन बात नहीं है। भारत में कई ऐसे काल आए, जबकि जनतांत्रिय प्रणाली प्रचलित थी, पर कालान्तर में वह लुप्त हो गई। डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा, '' आज संसदीय सरकार की बात कालान्तर में लुप्त हो गई। डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा, ''आज संसदीय सरकार की बात हमारे लिए विदेशी प्रतीत होती है। यदि हम गांवों में जाये तो मालूम होगा कि लोग यह नहीं जानते कि वोट क्या है? पार्टी क्या है? जनतंत्र प्रणाली उन्हें विचित्र प्रतीत होती है। इसलिए हमारे सामने यह समस्या है कि इस प्रणाली को कैसे बचाया जाये। जनता को हमें शिक्षित बनाना है, और संसदीय जनतंत्र तथा संसदात्मक सरकार के लाभ बताने है।''[13] डॉ. अम्बेडकर ने प्रणाली को इसलिए पसंद किया कि यह ऐसी सरकार है, जिसे जनता स्वयं चुनती है, यह ऐसी प्रणाली है जो भारत में प्रचलित थी और यह जनतांत्रिक है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यदि संसदीय सरकार अच्छी हो, जन-साधारण की भलाई करें, तो डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, उसमं तीन शर्तो का होना आवश्यक है।

1. पैतृक शासन नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य पैतृक शासन का अधिकारी नहीं है, जो कोई शासन करना चाहता है उसे जनता के द्वारा समय-समय पर चुन कर आना चाहिए। उसे जनता की स्वीकृति लेनी चाहिए। पैतृक शासन का संसदात्मक सरकार में कोई स्थान नहीं है।

2. कोई भी कानून, या कोई भी योजना, जो जनता के हित के लिए बनाई गई है, वह उन लोगों के सलाह से बनाई जानी चाहिए, जिनको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है।

3. जनतंत्र में जनता के कार्य राज्य के मुखिया के नाम से किया जाते हैं, लेकिन वह एक मूर्ति के समान होता है। उसकी पूजा की जा सकती है, पर वह अपनी मर्जी के मुताबिक शासन नहीं चला सकता। जनतंत्र में सरकार मूलतः उन प्रतिनिधियों द्वारा चलती है जो लोग राज्य के मुखिया को सलाह देना चाहते है, उन्हें जनता का विश्वास समय-समय पर प्राप्त करते रहना चाहिए।[14]

जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों का मुख्य ध्येय समाज की भलाई करना होता है। अतः डॉ. अम्बेडकर ने सरकार की कार्यविधियों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिनिधियों के हाथ में राजनैतिक शक्ति जाने का एतराज नहीं किया। उनका मुख्य कार्य यह देखना होता है कि सरकार ठीक-ठीक काम कर रही है या नहीं। इसके लिए जनता का सहयोग भी उनके लिए आवश्यक है, जिनको उसने प्रतिनिधि चुनकर भेजा है। विरोध के लिए ही विरोध करना सामाजिक प्रगति एवं राजनैतिक साम्यता के लिए हानिकारक है। "मै विरोध करने में विश्वास नहीं करता हूँ। सहयोग की भावना भी वहाँ होनी चाहिये जहाँ सहयोग से लाभ हो।"[15]

स्वतंत्रता ने जनता तथा सरकार दोनों पर नवीन तथा भारी जिम्मेदारियाँ लाकर डाल दी है। उनका यह महान् कर्तव्य है कि वे मिलकर देश की स्वतंत्रता को बनाये रखें और सदैव संयम-नियम से काम करें। इसके लिए व्यावहारिक बुद्धिमता तथा एकता की आवश्यकता है। डॉ. अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा था: "शक्ति देना आसान है, लेकिन

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

बुद्धिमता देना बहुत ही कठिन है। हमें अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर देना चाहिए कि हमारे अन्दर केवल शक्ति ही नहीं है वरन् वह बुद्धिमता भी है, जिससे देश के सब लोगों को उस मार्ग पर ले जाएं जो एकता की ओर जाता है।"16

भारत जैसे देश में सरकार के सामने अनेक सामाजिक समस्याएं हैं। यहाँ उसके समक्ष तानाशाही सरकारों से भिन्न कार्य हैं। यहां पर देखना आवश्यक है कि सदियों से शोषित जनता पर अत्याचार और अन्याय तो नहीं हो रहा है।

डॉ. अम्बेडकरने सदैव संसदात्मक सरकार को पसन्द किया और जनतांत्रिक प्रणाली में स्थाई शासक वर्ग का विरोध किया। प्रत्येक देश में दो वर्ग तो होते ही है। एक शासन करने वाला वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। इन दोनों वर्गो में राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के कारण शासक वर्ग निम्न वर्ग के लोगों पर आसानी से अपना आधिपत्य जमाये रखते हैं और आम चुनाव या अन्य साधन उनके मार्ग में बाधा नहीं बन पाते है क्योंकि अपनी शासकीय शक्ति के कारण शासक वर्ग अपनी शक्ति को बनाये रखते है। इसका परिणाम यह होता है कि शासित वर्ग अपनी शक्ति को बनाये रखे है। इसका परिणाम यह होता है कि शासित वर्गो में हीन-भावनायें उत्पन्न हो जाती है और वे उस वर्ग को अपना प्राकृतिक मुखिया मानने लगते हैं। ये लोग उसी वर्ग को बार-बार चुनने में अपना सौभाग्य समझने लगते है।[17] भारत में ये बातें मामूली घटनाएँ है क्योंकि यहा का परम्परावादी सामाजिक ढांचा कुछ ऐसा है जो तथा कथित बड़े या उच्च वर्गो के हित में पड़ता है और वे ही लोग चुनकर आ जाते है।

लेकिन डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, "स्थाई शासक वर्ग का होना जनतंत्र और स्वदेशी सरकार की भावना के प्रतिकूल है और जहाँ पर शासक वर्ग अपने ही हाथों में सत्ता हथियाकर स्थाई बन जाने का प्रयत्न करता है वहां पर यह सोचना गलत है कि जनतंत्र तथा स्वदेशी सरकार जीवन की वास्तविकताएं बन चुकी हैं।[18] अतः जनतंत्र और

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

स्वदेशी सरकार उस समय सच्ची समझी जाएगी जब कोई शासन करने वाला वर्ग स्थाई न हो अर्थात् संवैधानिक ढंग से शासक वर्ग परिवर्तित होता रहे।

अतः डॉ. अम्बेडकर ने यहां के शोषित वर्गो को यह सलाह दी कि वे संगठित होकर जनतंत्र प्रणाली को दृढ़ बनाने के लिए स्थाई शासक वर्ग को सरकार से हटायें। ऐसा न करने से वे दो कार्य कर सकेंगे। प्रथम, वे राजनैतिक सत्ता को प्राप्त करके सामान्य जनता के पक्ष में कानून बना पायेगें। द्वितीय, वे भारत में प्रजातांत्रिक परम्पराओं को सुदृढ़ बनायेंगे। यह सब शासक वर्ग को समाप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि देश में अच्छी परम्पराओं का द्योतक है।

इसमें सन्देह नहीं कि डॉ. अम्बेडकर ने जनतांत्रिक सरकार के रूप को ही पसन्द किया, लेकिन जिन त्रुटियों की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया वे ध्यान देने योग्य हैं। यहां के शोषित वर्गो को अपनी राजनैतिक शक्ति को पहचानना चाहिये और संगठित होकर उसको सम्भालने का प्रयास करना उनका मुख्य ध्येय होना चाहिये। संसदीय सरकार एवं प्रणाली से शासक और शासित का स्थाई आधार नहीं होना चाहिये। सरकार की शक्ति संवैधनिक ढ़ंग के द्वारा हस्तांरित होती रहनी चाहिये। ऐसा कोई भेदभाव न हो कि शासित एवं शासक प्रकृति द्वारा बनाये गये हैं या उनके भाग्य में ऐसा लिखा है। यह ईश्वरवादी दृष्टिकोण या भाग्यवादी परम्परा राजनैतिक क्षेत्र में घातक सिद्व हो सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नागरिक अपने बच्चे को सच्चे अर्थ में स्वतंत्र एवं समान नागरिक समझे और अनुभव भी करें। संसदीय प्रणाली में जो लोग चुने गये प्रतिनिधि हैं उनका यह महान् कर्तव्य है कि वे जनता की असली स्थितियों को समझते रहें और उनके कल्याण में रूचि लें।

सरकार एवं निरंकुशवाद–

डॉ. अम्बेडकर ने कहाः "यह स्वीकार्य है कि संसदीय सरकार में दल पद्धति एक आवश्यक अंग है, लेकिन साथ–साथ यह स्वीकार नहीं है कि उसमें एक ही राजनैतिक दल हो, एक राजनैतिक दल उसके लिए घातक है। यदि सच कहा जाए तो एक दल पद्धति

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

संसदात्मक प्रणाली के एकदम प्रतिकूल है।[19] डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, एक दल पद्धति दबाव तथा अन्याय का साधन बन सकती है। जनता को गुमराह करने की सम्भावनाएं भी उत्पन्न हो सकती है। इसको निरंकुशता ही कहा जा सकता है। अतः संसदीय सरकार को एक दल के द्वारा चलाना जनतंत्र को निरंकुशता के समान ही बनाना है ताकि निरंकुशता अपना कार्य जनतंत्र की ओट में करती रहें।[20]

संसार में आज कई देश है जहाँ पर एक ही पार्टी का शासन है। लेकिन एक एल पद्धति में बहुमत का दबाव समाप्त नहीं हो पाता है। यह उन लोगों के लिए शत्रु बन जाता है जो उस पार्टी के विचारों एवं नीतियों का विरोध करते है। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने किसी भी रूप में निरंकुशवाद को पसन्द नहीं किया। इसका तो जनतंत्र मं अंत होना ही चाहिये।

यदि वास्तविक संसदात्मक सरकार की स्थापना करनी है तो निरंकुशवाद किसी भी रूप में अवांछनीय है। निरंकुशता का अर्थ होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लुप्त होना। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर ने कहा। "निरंकुशवाद स्वतंत्रता का विरोधी है चाहे वह स्वदेशी हो या विदेशी।"[21] अतः यह सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि जन-साधारण द्वारा बनाई गई सरकार की रक्षा के लिए एक ही पार्टी का शासन स्थाई न बनने दें, एक पार्टी सरकार का अर्थ है समष्टिवाद जो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसके व्यक्तित्व को छीन लेता है और निरंकुशवाद अराजकता का मार्ग खोल देता हैं।

बहुमत और शासन

आज संसार में कई प्रकार की जैसे राजतंत्र या प्रजातंत्र तथा तानाशाही शासन प्रणालियां हैं। डॉ. अम्बेडकर ने प्रजातांत्रिक प्रणाली को अधिक पंसद किया। उन्होंने राजतंत्र तथा निरंकुशता को स्वीकार नहीं किया और अराजकता तथा तानाशाही को तो वे बिल्कुल ही पसन्द नहीं करते थे। उन्होने कहा : "अराजकता तथा तानाशाही में स्वतंत्रता बिल्कुल लुप्त हो जाती है।"[22] वे अच्छी तरह जानते थे कि इन व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा मानव सम्मान समाप्त हो जाता है। अतः उन्होंने यह अनुभव

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

किया कि भारत में एक ऐसी प्रतिनिधि या उ>रदायी सरकार हो जो सामान्य लोगों के हितों की रक्षा करें तथा उनकी स्वतन्त्रताओं को सम्मानपूर्वक बनाये रखें। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार के ऊपर कुछ प्रतिबन्ध हो ताकि वह स्वेच्छाचारी ने बन सकें।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, सामाजिक एकता तीन बातों पर निर्भर हैः 1. उ>ाम व्यक्तियों की रक्षा पर, 2. नैतिकता के सामान्य नियमों पर और 3. व्यक्तिगत विकास के खुले मार्ग पर।[23] समाज में ये बातें कहां तक पूरी होती है, बहुत सीमा तक यह सरकार का कार्य कुशलता तथा अच्छी व्यवस्था पर निर्भर है। यदि सरकार का बहुमत वाला पक्ष इन बातों को ध्यान में रखे तो बहुत कुछ सफलता मिल सकती है। डॉ. अम्बेडकर ने बहुमत शासन को उसी सीमा तक ठीक बताया जहां तक रूसों ने कहा है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है किः ''बहुमत का शासन एक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं है, बल्कि एक नियम के आधार पर माना जाता है। जहां तक मैं समझता हूँ यह दो कारणों की वजह से माना जाता हैः–

1. इसलिए कि बहुमत सदैव राजनैतिक बहुमत होता है और
2. बहुमत के निर्णय में अल्पमत की बातें इतनी मान ली जाती हैं कि फिर वह बहुमत के खिलाफ विद्रोह की इच्छा नहीं कर पाता है।''24

उनके अनुसार बहुमत का शासन अच्छी एवं उ>रदायी सरकार के लिए आवश्यक है, लेकिन इसको अल्पमत का सम्मान करना चाहिये और उसके उचित हितों की रक्षा

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

करनी चाहिये। अतः संसदीय सरकार एवं जनतंत्र में आस्था रखते हुए, डॉ. अम्बेडकर ने इन संस्थाओं को भारत के विधान में सन्निहित किया जिसका स्वागत सभी राजनीतिक विचारकों ने किया।

सरकार के कार्य तथा अंग–

डॉ. अम्बेडकर ने राजनैतिक विचारों में महत्वपूर्ण स्थान सरकार की शक्ति विभाजन का है जो सम्भवतः उन्होंने जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू की रचनाओं से प्राप्त किया। इन दोनों विद्वानों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सरकार की सुदृढ़ता के लिए सरकारी शक्तियों तथा कार्यों को तीन विभागों में विभाजित किया– कार्यपालिका, विधानपालिका, और न्यायपालिका। वास्तव में इन विचारकों का आधुनिक राजनैतिक विचारों क विकास में गहरा प्रभाव पड़ा।

अम्बेडकर का संसदीय प्रणाली में अटूट विश्वास था और उसकी सुदृढ़ता तथा कार्यकुशलता के लिए उन्होंने सरकार के कार्यों को तीन विभागों में बांटना आवश्यक समझा– (अ) कानून बनाना, (2) कानून को कार्यान्वित करना तथा (स) जो कानून को भंग करे उसे दण्ड देना। इन विभागों का नाम क्रमशः विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बिना शक्ति–विभाजन के सरकार अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकती है।25

डॉ. अम्बेडकर ब्रिटेन जैसी कार्यपालिका पसन्द नहीं करते थे। यदि वैसा ही ढंग भारत में अपनाया जाए तो भंयकर परिणाम निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश संसद में बहुमत सदैव राजनैतिक बहुमत होता है, लेकिन भारतीय संसद में बहुमत साम्प्रदायिक हो सकता है। सामाजिक और आर्थिक योजनाओं के बावजूद भी यहां पर बहुमत की रूपरेखा साम्प्रदायिक ही बनी रह सकती है। उन्होंने स्वंय कहाः ‘‘भारत में बहुमत राजनैतिक न होकर साम्प्रदायिक होता है। यह अन्तर होने पर, जो बात ब्रिटिश संसद के लिए सही हो सकती है, वह बात भारतीय संसद की भारतीय परिस्थितियों में सही नहीं हो सकती हैं।’’[26]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

भारत की परिस्थितियों में ब्रिटेन जैसी पद्धति को सच्चे मायने मे संसदीय व्यवस्था नहीं कर पायेंगे। यदि ऐसा हुआ भी तो डॉ. अम्बेडकर इसे 'साम्राज्यवाद' के सिवाय और कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रिटिश परम्परा यहां के अल्पमत वालों के अधिकारों और सुविधाओं पर कुठाराघात ही होगा। अछूत एवं शोषित वर्ग पीड़ित अवस्था ही में बने रहेंगे। इसलिए अम्बेडकर ने अमेरिकन कार्यपालिका को अधिक पसन्द किया क्योंकि वहां की सरकार अल्पमत वालों को उचित स्थान देती है, वह उनकी सुविधाओं की देखभाल करती है तथा अल्पमत वाले सुयोग्य लोगों को अच्छे–अच्छे राजनैतिक पद प्रदान करती है। लेकिन ब्रिटिश पद्धति में ऐसी कोई परम्परा नहीं है। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने अमेरिका जैसी कार्यपालिका को पसन्द किया। इसके अतिरिक्त, अमेरिकन सरकार जनतांत्रिक तथा उ>रदायी सरकार भी है जिसे वे अच्छा मानते थे।[27]

उनके अनुसार, निम्नांकित कार्यपालिका का स्वरूप अच्छी और उ>रदायी सरकार के हितों को आगे बढ़ा सकता है–

1. बहुमत को ऐसी सरकार बनाने से रोकना जिसमें अल्पमत को कोई अवसर एवं स्थान न दिया गया हो.
2. ऐसे बहुमत को रोकना जो प्रशासन पर अपना ही कन्ट्रोल रखने का इच्छुक हो और इस प्रकार अल्पमत को दबाये रखने के विचार में हो.
3. अल्पमत के उन प्रतिनिधियों का बहुमत में स्थान प्राप्त करने से रोकना जिनकी जनता में कोई आवाज न हो, ओर
4. ऐसी दृढ़ कार्यपालिका बनाना जो अच्छी और कुशल सरकार की स्थापना में सहायक सिद्ध हो।[28]

न्यायपालिका के सम्बन्ध में, डॉ. अम्बेडकर ने कहाः ''अधिकारों का होना उसी समय सार्थक है जब उनकी रक्षा के लिए भी समुचित व्यवस्था हो। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही न की जाए तो उसको अधिकार देना व्यर्थ है। फलस्वरूप, जब संविधान मौलिक अधिकारों की गारण्टी देता है तो इसका

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

प्रावधान होना भी आवश्यक है कि विधानपालिका तथा कार्यपालिका व्यक्ति को उनसे वंचित न कर सकें। साधारणतया यह कार्य न्यायपालिका का है और न्यायलयों को विशेष संरक्षक बना दिया है कि वे संविधान में दिये गये अधिकारों की रक्षा करें।[29] अतः डॉ. अम्बेडकर ने न्यायपालिका को ये अधिकार देने के लिए कार्य किया और कहाः

1. न्यायपालिका को इतनी शक्ति होनी चाहिये कि वह ऐसे कार्य कर सकें जिन्हें हमें इंग्लिश परम्परा में विशेषाधिकार कहते है और–

2. विधानपालिका को इन शक्तियों को कम करने से रोकना चाहे न्यायपालिका उनका प्रयोग किसी भी रूप में करें।''[30] कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका के विभिन्न कार्य–क्षेत्र भारत के संविधान में पाये जाते है। संक्षेप में डॉ. अम्बेडकर ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना पर बल दिया।

राज्य का कानून–

डॉ. अम्बेडकर यह मानते थे कि समाज के विभिन्न लोगों में शांति व्यवस्था एवं न्याय संतुलन बनाये रखने के लिए कानून का होना आवश्यक है। कानून स्वतंत्रता तथा समानता का संरक्षक है। उन्होंने कहाः ''कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है और सबके नागरिक अधिकार समान है। कोई भी वर्तमान कानून, नियम, रीति–रिाज या व्यवस्था या उनकी ऐसी व्यवस्था जो किसी नागरिक के साथ भेदभाव करती है अब उसका प्रभाव नहीं रहेगा।''[31] कानून का काम केवल कानून की परिधि में ही सीमित नहीं है। मानव जीवन तथा समाज में इसका महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह न्याय तथा शांति का स्त्रोत है।

डॉ. अम्बेडकर ''कानून के पीछे कानून'' के सिद्धान्त को स्वीकार करते थे। वे अमेरिकन संविधान से बहुत प्रभावित थे क्योंकि उसमें अन्य बातों के अतिरिक्त यह सिद्धान्त भी मिलता हैं। यह विचार समाज, सरकार एवं राज्य के संघीय दृष्टिकोण से अवतरित होता है। समाज विभिन्न ऐच्छिक एवं अनैच्छिक संस्थाओं की समग्रता का एक

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

रूप है। राज्य ऐच्छिक संस्थाओं में से एक है। एक ऐसी उच्च संस्था का होना तो आवश्यक है जो समाज के विभिन्न भागों एवं अंगों की व्याख्या एवं व्यवस्था दोनों करें। यह सब राज्य कानून की व्यवस्था के आधार पर करता है, हालांकि कानून आवश्यक रूप से राज्य की उत्पादित सामग्री नहीं है।[32]

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, कानून एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों की सामाजिक तथा नैतिक अन्तरात्मा पर निर्भर है। उन्होंने कहाः "अनुभव यह सि; करता है कि अधिकारों की सुरक्षा कानून से ही नहीं वरन् समाज की सामाजिक तथा नैतिक अन्तरात्मा के द्वारा भी होती है। यदि सामाजिक चेतना ऐसी है जो अधिकारों को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो उनकी सुरक्षा बनी रहेगी, लेकिन यदि कोई समाज मौलिक अधिकारों का विरोध करता है तो कानून, कोई संसदख् कोई न्यायपालिका, सच्चे अर्थ में उनका उ>ारदायित्व नहीं ले सकती है।"[33] अतः डॉ. अम्बेडकर जनता एवं कानून, समाज एवं सरकार, में एक संतुलन तथा सामंजस्य लाने के पक्ष में थे।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने राजनैतिक विवेचन में, सुव्यवस्थित राज्य को, जो जनतंत्र तथा संसदात्मक प्रणाली पर आधारित हो, प्रमुख स्थान दिया। उनका कहना था कि ऐसे राज्य या सरकार को गुटबन्दी के आधार पर प्रशासन नहीं चलाना चाहिये। उसे हमेशा मेल-मिलाप की नीति अपनानी चाहिये। उसे दमनकारी ढंग नहीं अपनाने चाहिये और यदि आवश्यकता पड़े तो केवल वहीं करना चाहिये जहां जन साधारण के हित में हो। उन लोगों की स्वतंत्रता बनाये रखना, जिनका सदियों से शोषण हुआ है, अच्छे राज्य का काम है।

विद्वान डॉक्टर ने एक सुव्यवस्थित राज्य सिर्फ वही हो सकता है जिसमें प्रभुस>ा विभक्त रहती है क्योंकि वह एक व्यक्ति या गुट में निहित एवं केन्द्रित नहीं होनी चाहिये। जहां पर प्रभुस>ा एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है वह व्यवस्था राजतंत्र हो जाती है या फिर वह तानाशाही का रूप धारण कर लेती है। अतः राजकीय कार्यो का विभाजन ही उपयुक्त बैठता है अन्यथा जनतांत्रिक प्रणाली भी समाप्त हो जाती है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

डॉ. अम्बेडकर राज्य के आदर्शवादी विचार से सहमत नहीं थे, जो यह मानता है कि राज्य एक रहस्यमय व्यक्तित्व है, एवं स्वतंत्र इकाइ है, पृथ्वी पर ईश्वर की एक योजना है जिसके ऊपर व्यक्ति का अस्तित्व निर्भर है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, जनता या मनुष्य ही राज्य को बनाते हैख उनके बिना कोई भी राज्य नही बन सकता है। अतः उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि मनुष्य इस धरती पर जो उ>मता प्राप्त करना चाहता है उसमें वह सहयोग दे। इस अर्थ में, राज्य एक महत्वपूर्ण साधन है, न कि साध्य और उसका यह दायित्व है कि ऐसी समाज व्यवस्था स्थापित करे ताकि सब लोग सम्मापूर्वक रह सकें।

राज्य एंव प्राकृतिक अधिकार

डॉ. साहेब ने सरकार की शक्ति तथा कार्य-विभाजन इसलिए किया कि वह सरलता से न्यायपूर्वक जनतांत्रिक प्रणाली के अनुसार जनता के हित में शासन कर सके और वर्तमान सामाजिक संबंध सुधारने में योगदान करें। साथ-साथ मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा भी कर सकें। वह कुछ अधिकारों को व्यक्ति से अपृथक मानते है जिन्हें प्राकृतिक अधिकार भी कहते है। सरकार के द्वारा इन अधिकारों की सुरक्षा का उ>रदायित्व होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर ने अपने सामाजिक तथा राजनैतिक सिद्धान्त का प्रतिपादन व्यक्ति और उसके अधिकारों के आधार पर किया क्योंकि राज्य उनके लिए एक सामाजिक तथा मानवीय संस्था के सिवाय कुछ नही है जिसका मुख्य कार्य बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना और आम जनता को शोषण तथा साधनहीन लोगों की सेवा करनी है।

यह सत्य भी है किसी भी राज्य को मनुष्य के अधिकारों का हनन नही करना चाहिये क्योंकि कुछ अधिकार इतने आवश्यक होते है कि समाज उनके बिना प्रगतिशील नहीं बन सकता है।

इसीलिए डॉ. अम्बेडकर ने कहाः " मौलिक अधिकारों की उ>म सुरक्षा का उपाय है कि संसद में एक अच्छा विरोधी दल हो ताकि सरकार सही ढंग से व्यवहार करती रहें।"

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 7 -Issue 12-December -2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

डॉ. अम्बेडकर ने अपने राज्य और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त को जॉन लॉक की भाषा में व्यक्त किया कि ''सरकार का मुख्य कार्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता तथा आनन्द के अधिकारों की रक्षा करना है।'' जो सरकार ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाती उसे नैतिक दृष्टि से ऑफिस में रहने का अधिकार नहीं है। अतः विद्वान डॉक्टर ने सदैव यही आग्रह किया कि प्रत्येक न्यायोचित तथा नैतिक कार्य में व्यक्ति के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए।

राज्य और धर्म

धर्म वह विचारधारा है जिससे लोगों की सामाजिक स्थिति को सुधारने में सहायता मिलती है। धर्म का यही एक ऐसा पहलू है जिसमें डॉ. अम्बेडकर की बड़ी भारी रूचि थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी धर्म एक निर्णायक मूल्य है। इससे सामाजिक सुदृढ़ता पनपती है और सामान्य भलाई के प्रति भक्ति-भावना बढ़ती है। इसीलिए राज्य को धर्म के प्रति न तो उपेक्षा का भाव रखना चाहिये और न उस पर दबाव देकर समाप्त करना चाहिए। राज्य को लोगों की धार्मिक भावना का आदर करना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार राज्य को सब नागरिकों को विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनको धर्म-प्रचार और धर्म- परिवर्तन की भी स्वतंत्रता नैतिकता तथा कानून व्यवस्था की सीमाओं के अन्तर्गत होनी चाहिए। वे जानते थे कि धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संस्कृति की आत्मा है और यहां के नागारिकों के लिए ऐसी स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अन्तर्मुखी है तो धर्म उसे आन्तरिक प्रकाश देता है और यदि वह बहिर्मुखी है तो धर्म उसे सामाजिक सेवा के लिए प्रेरित करता है। अतः धार्मिक स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। डॉ. अम्बेडकर यह भी कहते थे कि किसी भी व्यक्ति को इसके लिए बाध्य नही किया जाना चाहिए कि वह अपना धर्म त्याग दे या किसी धार्मिक संस्था का सदस्य बन जाए या अन्य किसी धार्मिक शिक्षाओं के दबाव में आ जाए। यदि वह ऐसा नहीं चाहता है तो निश्चत ही उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जब तक बच्चा समझदार नहीं होता है उसकी धार्मिक शिक्षा का भार उसके माता-पिता पर

होना चाहिए और यदि वह बड़ा होने पर किसी अन्य धर्म में जाना चाहे तो उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वह ऐ कर सकें।

इस धार्मिक स्वतंत्रता की मांग के साथ-साथ डॉ. अम्बेडकर ने लोगों से धर्मान्धता त्यागने का आग्रह किया। धार्मिक दबाव एवं धर्मान्धता का, जो कि भारतीय समाज की मुख्य बुराइयों में से है, उन्होंने कड़ा विरोध किया।

इसलिए डॉ. साहेब ने कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है, उसे समाज की दशा सुधारने में रूचि लेनी चाहिए। ऐसा करने से ही सामाजिक एकता आ सकती है और सामाजिक एकता ही राज्य की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक शर्त है।

डॉ. साहेब ने भारत में धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को अपने राजनैतिक विचारों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य को किसी भी धर्म को राज-धर्म घोषित नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि धार्मिक सहिष्णुता। जब मुस्लिम नेताओं ने पाकिस्तान को एक नया धार्मिक राज्य घोषित किया तो डॉ. अम्बेडकर को अप्रिय अनुभव हुआ। लेकिन जब भारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया तो वे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि धर्मनिरपेक्षवाद, जैसा कि उनका विश्वास था, सहनशीलता, स्वतंत्रता और समानता के

समसन्वय का प्रतीक है। यह राष्ट्रवाद और सामाजिक एकता के भाव को बढाने में सहयोग देता है।

डॉ. साहेब दोषपूर्ण धार्मिक सिद्धान्तों के कट्टर विरोधी थे। असीम सहनशीलता के पक्ष में नहीं थे। धर्म के नाम से जातिवाद एवं छुआछुत, आर्थिक शोषण एवं सामाजिक दबाव कभी भी सहन नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में उनका धर्म-निरपेक्षता का विचार मौलिक एवं क्रांतिकारी है, वह धार्मिक अन्याय एवं दुर्व्यवहार, घृणा एवं भेदभाव का कट्टर विरोधी है।

संदर्भः-

1. बी.आर.अम्बेडकर : स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटिज, 1947, पृ. 3
2. बी.आर.अम्बेडकर : पाकिस्तान और द् पार्टीशन ऑफ इण्डिया, 1946, पृ. 330

3. सी.ई.एम. जोडः इन्ट्रॉडक्शन टू माड्रन पॉलिटिकल वीऑरि. 1950, पृ.13
4. पाकिस्तान और द् पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ. 293
5. पाकिस्तान और द् पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ. 294
6. स्टेटस एण्ड माइनॉरिटिज, पृ. 3
7. संविधान के प्रथम प्रारूप को प्रस्तुत करते समय संविधान सभा में दिया गया भाषण : 1948
8. एम.बी. पायलीः इण्डिया' ज कॉन्स्टीट्यूशन, 1963, पृ. 267
9. एम.बी. पायलीः इण्डिया' ज कॉन्स्टीट्यूशन, 1963, पृ. 268
10. एम.बी. पायलीः इण्डिया' ज कॉन्स्टीट्यूशन, 1963, पृ. 269
11. बी.आर.अम्बेडकर : व्हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव इन टू द् अण्टचेबिल्स , 1946, पृ. 239
12. बी.आर.अम्बेडकर : व्हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव इन टू द् अण्टचेबिल्स , 1946, पृ. 240
13. दस स्पोक अम्बेडक, भाग प्रथम (भगवानदास द्वारा संकलित एव ंसम्पादित, भीम-पत्रिका प्रकाशन, जलंधर, 1963) पृ. 51-52
14. दस स्पोक अम्बेडक, भाग प्रथम (भगवानदास द्वारा संकलित एव ंसम्पादित, भीम-पत्रिका प्रकाशन, जलंधर, 1963) पृ. 52-53
15. दस स्पोक अम्बेडक, पृ. 58
16. दस स्पोक अम्बेडक, पृ. 100
17. व्हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव इन टू द् अण्टचेबिल्स , पृ. 208
18. व्हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव इन टू द् अण्टचेबिल्स , पृ. 208
19 बी.आर.अम्बेडकर : रानाडे, गांधी एण्ड जिन्ना, 1943, पृ. 74
20. बी.आर.अम्बेडकर : रानाडे, गांधी एण्ड जिन्ना, 1943, पृ. 74-75
21. बी.आर.अम्बेडकर : रानाडे, गांधी एण्ड जिन्ना, 1943, पृ. 75
22. बी.आर.अम्बेडकर : द् बुद्व एण्ड हिज धम्म, 1957, पृ. 317
23. बी.आर.अम्बेडकर : द् बुद्व एण्ड हिज धम्म, 1957, पृ. 323-325
24. कम्युनल डैडलॉक एण्ड ए वे टू सॉल्व इट, पृ. 28
25. स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटिज, पृ. 38
26. स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटिज, पृ. 36
27. स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटिज, पृ. 38
28. स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटिज, पृ. 38
29. स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटिज, पृ. 28
30. स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटिज, पृ. 29
31. स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटिज, पृ. 9
32. स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटिज, पृ. 5-9
33. रानाडे, गांधी एण्ड जिन्ना, पृ. 34-35

कंवल भारतीः डॉ. अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने, 1983, पृ. 53–54

2. डा. म.ला. शहारे, डा. नलिनी अनिलः डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की संघर्ष यात्रा एवं सन्देश 1993 पृ. 164
3. धनंजय कीर : डा. अम्बेडकर लाईफ एण्ड मिशन, 1991, पृ. 273
4. "वही" पृ. 273–74
5. धनंजय कीर : डा. अम्बेडकर लाईफ एण्ड मिशन, 1991, पृ. 274
6. डा. म.ला. शहारे, डा. नलिनी अनिलः डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की संघर्ष यात्रा एवं सन्देश 1993 पृ. 168
7. भगवानदास (सम्पा.) दस स्पोक अम्बेडकर खण्ड–4, 1980, पृ. 42–43
8. धनंजय कीर : डा. अम्बेडकर लाईफ एण्ड मिशन, 1991, पृ. 274
9. "वही" पृ. 274
10. डा. सूर्य नारायण रणसुभे : डा. बाबा साहेब अम्बेडकर 1992, पृ. 88
11. भगवानदास (सम्पा.) दस स्पोक अम्बेडकर खण्ड–4, 1980, पृ. 61
12. वसंत मून : डा. बाबा साहब अम्बेडकर 1991, पृ. 87